न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68/2007	13.03.2007	13-8-25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1–केदारलाल पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड निवासी कापरेन हाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1–बद्रीलाल
2–रामकल्याण
3–बनवारीलाल
पुत्रान जानकी लाल जाति धाकड निवासी दीगोद जिला कोटा।
4–जानकीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा।
5–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब दीगोद जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री बलराम शर्मा
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री प्रमाद कुमार चौधरी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि वर्तमान मे वादी ग्राम दीगोद का स्थायी एवं शान्तीप्रिय निवासी है एंव वादी ग्राम दीगोद में ख0 न0 1036/1827 रकबा 0.55 हेक्टर आराजी पर बतोर खातेदार काबिज कास्त चला आ रहा है जों कि वर्तमान में वादी की आजिविका का एक मात्र साधन है।

2 यह कि मद नं0 2 मे वर्णित आराजी को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 18.05.1994 को पूर्व खातेदार रामरतन–पुत्र भंवरलाल से खरीद की थी तब से वादी उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है।

3. यह कि खाते की भूमि की चतुर्सीमाएं निम्न प्रकार है।

(I). उत्तर – धनश्याम पुत्र हटटीलाल बावह

(II). दक्षिण– पक्का धोरा

(III).पूरब – सरकारी स्कूल एंव ग्राम पंचायत की खाली जगह

(IV).पश्चिम –प्रतिवादीगण की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4. यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 आपस मे भाई है एव प्रतिवादी 4 प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता है जिनके कब्जे काश्त की भूमि वादी की भूमि के दक्षिण दिशा मे लगी हुई है।

5. यह कि प्रतिवादीगण लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिन्हाने नाजायज गिरोह बना रखा है एव दादागिरि के बल पर वादी को खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा है तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त मे मदाखलत एवं मजामहत करने की कोशिश करते है जबकि वादी बवक्त खरीद शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है।

6. यह कि दिनाक 08.03.2007 को वादी जब अपने खेत पर गया तो प्रतिवादीगण वादी के खेत एवं कब्जे काश्त की भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ मजदुरो के साथ खडे हुए थे एवं वादी से कहा कि यह भूमि हमारी है एंव देते कहा कि यह भूमि हमारी है एव हम यहा मकान का निर्माण करेंगें एवं नीव की खुदाई करेंगें इस पर वादी के मना करने पर वादी के साथ मारपीट तथा वादी को मा बहिन की फोस–फोस गालिया दी एवं धमकी दी की यदि आइन्दा तुने दोबारा इस भूमि पर पेर रखा तो तेरे हाथ पेर तोड़ देगें। जबकि प्रतिवादीगण का वादी के खाते एंव कब्जे काश्त की भूमि पर किती –प्रकार का अधिकार नहीं है एवं वादी बवक्त खरीद से उक्त भूमि पर का काबिज काश्त चला आ रहा है।

7. यह कि प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से वादी को पूर्णभय हो गया है यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं करा गया तो वह वादी को उक्त भूमि से बैदखल कर देगें।

यह कि वाद कारण दिनाक 08.03.2007 को प्रतिवादीगण वादी की भूमि की दक्षिण दिशा मे मकान निर्माण हेतु नीव खोदने का प्रयास करने एवं वादी के साथ मारपीट एवं गालीगलोच करने पर प्रतिवादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में मदाखलत एवं मजाहमत पैदा करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे की वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की भूमि ख0न0 1036/1827 रकबा 0.55 है० वाफै ग्राम दीगोद तहसील दीगोद में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियें द्वारा नहीं करवायें तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल न करे तथा वादी को उससे बेदखल कर कब्जा प्राप्त न करै तथा यदि दोराने दावा वादी को –उक्त आराजी से प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो वादी को कब्जा दिलवाया जावें। खर्चा मुकदमा, व अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जायें।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2059–2062 ग्राम दीगोद खाता सं०नया 70
2. नकल प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2059 खसरा सं0 1036/1827

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

3. नकल प्रतिलिपि चालू नक्शा ट्रेस खसरा0 1036/1827 ग्राम दीगोद
4. नकल फोटो प्रति विक्रय पत्र
5. नकल जमाबंदी मिलान सैटलमेंट
6. मौका रिपोर्ट फोटो प्रति दिनांक 24.06.2022

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद में केचमेन्ट के पूर्व की खसरा नम्बर 245 की 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि एवम खसरा नम्बर मिन 234 की 10 बिस्वा भूमि तथा अन्य खसरा नम्बर 203, 237, 104, 238, 269, 273, 599 की 19 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी।

उपरोक्त भूमियों में प्रतिवादी नं0 5 के भूसुधार विभाग द्वारा केचमेन्ट कार्य कर दिया गया तथा बाद केचमेन्ट निम्न खसरा नम्बर व रकबा दर्ज किया गया– पु० खसरा नम्बर– 234 व 245 के नये ख0नं0 1624 की 5 बीघा 10 बिस्वा अन्य खसरा नम्बर के नये ख0नं0 1625 की 3 बीघा 07 बिस्वा उक्त भूमियों में प्रतिवादी नं० 5 के सेटलमेन्ट विभाग ने भूप्रबंध कार्य कर दिया जिसके अनुसार उसके निम्न नये खसरा नम्बर व रकबा दर्ज किया गया– खसरा नं0 553 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नं0 554 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नं0 554/1758 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं0 1036/1829 रकबा 0.08 हेक्टर, कुल 4 किता की रकबा 1.51 हेक्टर

उपरोक्त भूमि अन्य भूमि के साथ खातेदार महेश कुमार आ० बद्री नारायण जी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी जिसमें से उक्त भूमि को प्रतिवादीगण ने खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर लिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं० 977 दिनांक 20–1–04 से उपरोक्त भूमि विशेष आपत्तियों की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण नं० 1 ता 3 के नाम दर्ज करने के आदेश हुये। प्रतिवादीगण विशेष आपत्तियों की मद नं० 3 में वर्णित भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार चले आ रहे है।

वादी के कब्जे की भूमि का सेटलमेन्ट से पूर्व पुराना खसरा नम्बर 234 मिन की 3 बीघा 9 बिस्वा था जो खसरा नम्बर मिन 234 व 245 की भूमि के समीप स्थित था। सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के कब्जे की खसरा नम्बर 234 मिन व 245 में केचमेन्ट हो गया किन्तु वादी के खाते की भूमि में केचमेन्ट कार्य नहीं हुआ। ओर सेटलमेन्ट के बाद वादी के खाते की पुराने ख0न0 234 मिन की 3 बीघा 9 बिस्वा के भूमि के नये खसरा नम्बर 1036/1827 रकबा 0–55 हेक्टर दर्ज कर दिये गये।

केचमेन्ट विभाग द्वारा जो प्लाट मोके पर काट कर दिये थे उसी अनुसार प्रतिवादीगण मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूप्रबंध कार्य के दौरान बनाये गये गलत नक्शे को आधार बना कर वादी अपने खाते व कब्जे की भूमि की आड में प्रतिवादीगण के कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 554/1758 रकबा 0–30 हेक्टर व खसरा नम्बर 1036/1829 रकबा 0–08 हेक्टर भूमि पर कब्जा करने व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा है। इस कारण वादी उक्त वाद पेश कर उसकी आड में प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखता है। जिसका कि वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रतिवादी नं० 5 के भूप्रबन्ध विभाग को नक्शे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है प्रतिवादी न० 5 के भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बाद केचमेन्ट सम्भलाये गये मोके पर प्लाटों के अनुसार ही सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा बनाना चाहिये था। किन्तु ऐसा न कर नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया गया। इस कारण राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

1036/1829 की मोके व बाद केचमेन्ट जो भूमि मोके पर प्राप्त हुई है के अनुसार व केचमेन्ट से पूर्व वादी के कब्जे की भूमि मोके के अनुसार प्रतिवादीगण को नक्शा दुरुस्त कराने का अधिकार प्राप्त है। जिसके लिये प्रतिवादीगण ने अलग से वाद प्रस्तुत कर दिया है।

मोके पर प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर 1036/1829 जिनका पुराना खसरा नम्बर 1624 व 1625 थे जो बिल्कुल सीध खुल है जो आज भी मोके पर मोजूद है। परन्तु सेटलमन्ट विभाग द्वारा नक्शा में नये खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर 1036 / 1829 के मध्य में वादी की भूमि खसरा नम्बर 1036/1827 की भूमि दर्ज करदी है। वादी दिनांक 8-3-2007 को तथा दिनांक 25-4-2007 को उक्त गलत नक्शे को आधार मान कर प्रतिवादीगण के कब्जे व खाते की भूमि खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर 1036/1829 की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पेदा करने पर आमादा हो गया। जिसको वमुश्किल प्रतिवादीगण ने रोका। प्रतिवादीगण ने वादी को मोके के अनुसार उसकी खसरा नम्बर 1036/1827 की 0-55 हेक्टर भूमि से काश्त करने से नहीं रोका ।

वादी इस वाद की आड में खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर 1036/1829 की मोके व बाद केचमेन्ट जो भूमि मोके पर प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है के गलत नक्शा के अनुसार प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 554/1758 व खसरा नम्बर 1036/1829 की भूमि के कब्जे काश्त में वादी द्वारा व्यवधान पेदा किया गया व भूमि पर कब्जा कर लिया गया तो इससे प्रतिवादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी।

अतः जवाब दावा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमावें।

दौराने वाद प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि मुताबिक रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 1036/1827 रकबा 0.55 है0 केदारलाल पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड सा0 काप्रेन हाल दीगोद व ख0न0 1036/1829 रकबा 0.08 है0 अन्य आराजियात के साथ बनवारीलाल, रामकल्याण, बद्रीलाल पुत्र जानकीलाल जाति धाकड सा0 देह के शामलाती खाते में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043-62 के वर्तमान ख0न0 1036/1827 रकबा 0.55है0 गत ख0न0 234 मि0 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा से व वर्तमान ख0न0 1036/1829 रकबा 0.08 है0 गत ख0न0 234 मि0 10 बिस्वा से बनना अंकित है।

गत खसरा न0 234 की नक्शा नकल अनुसार उसमें किसी प्रकार की तरमीम नहीं हो रही है। गत नक्शा अनुसार मौके की स्थिति व सैटलमेंट पश्चात बने नक्शा भिन्न है। सेटलमेन्ट स0 2043-62 के दौरान बनाया गया नक्शा मौका अनसार नहीं है।यही विवाद का कारण है। अतः मौका अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जाना अपेक्षित है।

वादी द्वारा धारा 209 आर0टी0 ए0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया गया । तत्पश्चात पत्रावली को तनकी पर नियत किया गया। तहसीलदार दीगोद से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य PW1 में केदारलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्यवादी की जिरह की गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत समझोता पत्र रिकार्ड पर लेने बाबत प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया तथा साक्ष्यवादी भी बंद कर पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा गवाह DW1 में बद्रीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादी अधिवक्ता द्वारा समझौता प्रार्थना पत्र तथा साक्ष्यवादी बन्द करने के निर्णय के विरूद्ध एक निगरानी याचिका राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी याचिका स्वीकार कर इस आशय के साथ पत्रावली प्रेषित की कि प्रकरण में समझौता पत्र रिकार्ड पर लेने व साक्ष्य बन्द करने के निर्णय पर पुनः उभयपक्ष के को विधिवत सुनते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निगरानी याचिका पर दिये गये ओदशानुसार प्रतिवादीगण की पुनः विधिवत तलबी करवाई गई। समझौता पत्र रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया। साक्ष्य वादी तथा साक्ष्य प्रतिवादी उपरान्त पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराया जबकि प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराया गया।

उपरोक्तानुसार सुनी गई बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मय मौका रिपोर्ट (प्रदर्श–डी–10) का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1036/1827 रकबा 0.55 हैक्टर एवं प्रतिवादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1036/1829 रकबा 0.08 हैक्टर (दोनो ही) गत खसरा नम्बर 234 से बने है। दोनों ही पक्षकार अपने अपने खाते की आराजी पर काबिज काश्त है।

रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट है कि पक्षकारान के विवाद का मुख्य कारण है कि वर्तमान राजस्व नक्शे को मौका अनुसार नहीं बनाया गया है। प्रकरण के दावे में वादी ने प्रतिवादी द्वारा, वादी की आराजी पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने, दखलन्दाजी करने जैसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। इससे स्पष्ट है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं किये जाने के कारण वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है बल्कि गत नक्शे एवं मौका कब्जा अनुसार वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण के विवाद का मुख्य कारण राजस्व नक्शे की त्रुटि होने के कारण वाद वादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील दीगोद, जिला कोटा को ग्राम दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 1036/1827 रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1036/1829 रकबा 0.08 हैक्टर के वर्तमान नक्शे में मौके कब्जे व गत नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

1–कंदारलाल पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी कापरेन हाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1–बद्रीलाल
2–रामकल्याण
3–बनवारीलाल
पुत्रान जानकी लाल जाति धाकड़ निवासी दीगोद जिला कोटा।
4–जानकीलाल पुत्र गेंदीलाल जाति धाकड़ निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा।
5–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब दीगोद जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री बलराम शर्मा
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री प्रमाद कुमार चौधरी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मिसल नं 68/2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रकरण के विवाद का मुख्य कारण राजस्व नक्शे की त्रुटि होने के कारण वाद वादी बाबत स्थायी निषधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील दीगाद, जिला कोटा को ग्राम दीगाद की आराजी खसरा नम्बर 1036/1827 रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1036/1829 रकबा 0.08 हैक्टर के वर्तमान नक्शे में मौके कब्जे व गत नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 13/8/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प व गृह संवृत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा	रूपय	पैसे
मुदालयह	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)